भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2475

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण

2475. श्रीमती लवली आनंद:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का पंजीकरण केवल दस वर्ष के लिए करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार किसी भी वाहन का प्रयोग काल केवल दस वर्ष तक ही मानती है; और

(ग) क्या आम जनता को वाहन केवल दस वर्ष तक रखने के लिए बाध्य करना न्यायोचित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) जी नहीं। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (7) के अनुसार, किसी मोटर वाहन के संबंध में जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र, ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से केवल पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए वैध होगा और नवीकरणीय होगा। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 52 के उप-नियम (2) के अनुसार, पंजीकरण प्राधिकारी फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, पंजीकरण प्रमाणपत्र को पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत करेगा। इसके अलावा, परिवहन वाहनों के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता के साथ समाप्त होगी।

*****